तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3263/2005/दौसा** **बुद्धाराम व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अजीत सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः—19.11.2025

1— यह निगरानी न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—05—2005 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— वकील प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि दिनांक 02—07—91 का कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जिसे परीक्षण न्यायालय द्वारा कन्फर्म किया गया ऐसी स्थिति में जब मूल आदेश ही रिकार्ड पर नहीं है तो उस आदेश में क्या अंकित किया गया है कि कल्पना के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सिविल कारावास की सजा प्रदान नहीं की जा सकती। परीक्षण न्यायालय द्वारा 9 वर्ष बाद प्रार्थीगण को सजा प्रदान की गयी है, जबकि अवमानना याचिका 1 वर्ष बाद स्वतः ही प्रभावहीन हो जाती है। इसके बावजूद विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की अवहेलना कारित करते हुए प्रार्थीगण के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा जैसा कठोर आदेश पारित किया है। वर्तमान प्रार्थी संख्या 3 को विक्रय हेतु पाबंद किया गया था लेकिन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने क्रेतागण जो क्रमशः प्रार्थीगण संख्य 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 5 हैं को भी सिविल कारावास की सजा प्रदान कर दी जबकि उनके विरूद्ध अप्रार्थीगण किसी भी किस्म का स्थगन आदेश होना सिद्ध नहीं कर सके न ही उनके विरूद्ध परीक्षण न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश ही जारी किया गया था। अप्रार्थीगण ने स्वयं रिकार्डेड सह खातेदार से हिस्सा खरीदा है एवं प्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 तथा अप्रार्थी संख्या 5 ने भी वर्तमान प्रार्थी संख्या 3 से हिस्सा खरीदा है अर्थात विशिष्ठ भू भाग का क्रय नहीं किया है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षण न्यायालय ने कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी भी की है तो वह कतई महत्वहीन है। वर्तमान प्रार्थी संख्या 3 विवादित आराजीयात का जरिये अपंजीकृत विक्रय पत्र वाद प्रस्तुती के पूर्व ही विक्रय कर कब्जा व दखल सौंप चुका था तथा प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुका था। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 53 अ के अनुसार पार्ट परफोर्मेंस पूर्ण हो चुकी थी विक्रय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3263/2005/दौसा** **बुद्धाराम व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रों का पंजीकृत करवाना मात्र औपचारिकता थी। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–05–2005 एवं न्यायालय सहायक कलक्टर महवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–11–2001 निरस्त फरमाये जावें।

4– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अनिगराकार क्रम 01 लगायत 04 ने निगराकार सहायक कलक्टर महवा जिला दौसा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि ''ग्राम गाजीपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 217/1 रकबा 45 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 218 रकबा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। न्यायालय सहायक कलक्टर महवा ने दिनांक 02–07–1991 को प्रश्नगत आराजी को बेचान आदि नहीं करने बाबत् स्थगन आदेश पारित कर दिया था। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के बावजूद दिनांक 26–09–92 को मुतनाजा ने अपने हिस्से के 1/4 भाग का 4/5 भाग गैर सायलान 2 व 3 के हिस्से में तथा अपना शेष 1/5 भाग गैर सायल 4 के हक में जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र बेचान कर दिया। इस प्रकार गैर सायलान का उक्त कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायलान को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया जावे।'' न्यायालय सहायक कलक्टर महवा ने अपने आदेश दिनांक 22–11–2001 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) सीपीसी स्वीकार कर निगराकारगण को न्यायालय की अवमानना करने के आधार पर एक–एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। न्यायालय सहायक कलक्टर महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2001 से व्यथित होकर निगराकारगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबधं अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 13–05–2005 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज करते हुए सहायक कलक्टर महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–11–2001 को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–05–2005 से व्यथित होकर निगराकारगण द्वारा मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की गयी है। न्यायालय सहायक कलक्टर महवा की पत्रावली का अवलोकन करने से साबित है कि उक्त पत्रावली के साथ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की कोई फोटो प्रति अथवा प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है। उपर्युक्त स्थिति में काल्पनिक कयासों के आधार पर किसी व्यक्ति को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि निगराकारगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गयी है तो उपर्युक्त स्थिति में अनिगराकारगण को जिस आदेश की अवहेलना की गयी है उस आदेश की फोटो अथवा प्रमाणित प्रति पेश करनी चाहिए थी परंतु उनके द्वारा किसी प्रकार की स्थगन आदेश की फोटो अथवा प्रमाणित प्रति पेश नहीं की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी0ए0/3263/2005/दौसा** **बुद्धाराम व अन्य बनाम महावीर प्रसाद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गयी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अनिगराकार क्रम 05 जो कि तत्समय सन्यासी थे उन्हें किसी प्रकार का दण्ड अर्थात सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

5— उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—11—2001 एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13—05—2005 निरस्त किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य